

फार्म
अंचल संपत्ति विवरणिका वर्ष 2013

प्रथम नियुक्ति के समय अंचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 1984 पैतृक भवन का हिस्सा निर्मित 31 वर्गफुट रिक्त भूमि 189 वर्गफुट वार्ड क्रमांक 02 बानापुरा जिला होशंगाबाद

- 01 अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम:- सुभाषचन्द्र थापक
02. वर्तमान पद :- कनिष्ठ यंत्री
- 03 कार्यालय का नाम :- कार्यालय अधीक्षण यंत्री (परीक्षण एवं संचार) म.प्र.पॉ.ट्रां.कं.लि., इन्दौर
04. वर्तमान वेतन :- 37980+6600+DA
- 05 भविष्य निधि क्रमांक :- 23390403
06. कर्मचारी संख्या:- 90418268

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मण्डल अधिकारी/कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीदा, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा।	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
फलैट नं. 204 अंकुर एवेन्यू एफ.जी. 25-26, स्कीम नं. 54 विजयनगर इन्दौर (म.प्र.)	फलैट नं. 204 अंकुर एवेन्यू एफ. बिल्ट अप एरिया 850 वर्गफुट सुपर बिल्ट अप 930 वर्गफुट	—	फलैट 20 लाख	स्वयं के नाम पर	स्टेट बैंक आफ इंडिया से भवन कय हेतु लोन प्राप्त करके कय किया गया	निरंक	

हस्ताक्षर 
नाम :- सुभाषचन्द्र थापक
पद :- कनिष्ठ यंत्री

- * जहाँ लागू न हो काट दीजिए
** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी -

मण्डल द्वारा ग्राह्य म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1985 के नियम 19 (1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात यह घोषण पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसके विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरण देवे।